आवश्यक

संख्या: 65/2021/1363565/12-2099/86/2021 -एफ0 42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

विषय: प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी0जी0यू0) के स्थान पर अनुदानित यूरिया का उपयोग रोका जाना।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 66/2020/ 2273/12-2-2020-एफ042/2001-टी0सी0 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 एवं सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-02/2021-एफ0एम0 दिनांक 16 सितम्बर, 2021 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. संदर्भित पत्रों द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा चिन्हित उत्पाद के निर्माण मे उपयोग हेतु अनुदानित यूरिया का नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स, अथवा, टेक्निकल ग्रेड यूरिया, या, फार्मेल्डिहाइड यूरिया के स्थान पर डायवर्जन कर रॉ-मैटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण, इन इकाईयों में रॉ मैटेरियल की प्राप्ति स्रोत की गहन जांच किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए है।

3. तत्क्रम में उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स, अथवा, टेक्निकल ग्रेड यूरिया, या, फार्मेल्डिहाइड यूरिया का उपयोग मुख्यत: निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों द्वारा किया जाता है:-

(i) एनिमल एण्ड पोल्ट्री फीड एज प्रोटीन सब्स्टीच्यूट।
(ii) यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन यूज्ड इन पेन एज ए बाइन्डर फॉर दी इमल्सन।
(iii) रॉ मैटीरियल फॉर फरमेन्टेशन आफ शुगर/मोलेसस टू एल्कोहल।
(iv) यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिड्यू एण्ड इट्स मॉडिफिकेशन्स यूज्ड इन प्लाईवुड एण्ड पार्टिकल बोड इण्डस्ट्री ऐज अधसिव एण्ड आलसो फॉर सरफेस कोटिंग।
(v) मेलामाइन रेजिन ऑर मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड (नाइट्रोजन कम्पाउन्ड्स) यूज्ड फॉर मैन्यूफैक्चर ऑफ यूटैन्सिल्स, प्लेट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एण्ड मोर।
(vi) टीजीयू इज यूज्ड एज नॉन-कोडिंग अल्टरनेटिव टू रॉक-साल्ट।
(vii) टीजीयू (टेक्निकल ग्रेड यूरिया) यूज्ड ए बर्निंग एजेण्ट।
(viii) टीजीयू यूज्ड एज मेन मैटीरियल फॉर टूथ हाइटनिंग प्रोडक्ट्स।
(ix) एज एडिटिव टू डाई बाथ्स फॉर टैक्सटाइल डाइनिंग ऑर प्रिन्टिंग।

http://sinsamadesh.up.gov.in

(x) रॉ-मैटीरियल फॉर डिश सोप।

(xi) रॉ-मैटीरियल फॉर फ्लेवर-एन्हैन्सिंग एडिटिव फॉर-सिग्रेट्स।

4. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि टैक्निकल ग्रेड यूरिया मै0 जी0एन0एफ0सी0 द्वारा देश में उत्पादित किया जाता है, अथवा, विदेशों से आयात किया जाता है अत: अनुदानित यूरिया का गैर कृषित कार्यो/औद्योगिक इकाईयों में डायवर्जन को रोकने हेतु कठोरता से निम्न बिन्दुओ के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:-

(1) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग के द्वारा उपरोक्त चिन्हांकित औद्योगिक इकाईयों, जिनके द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण में टैक्निकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, की सूची तैयार की जाए।

(2) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद में उपरोक्त चिन्हित स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा टी0जी0यू0 (टैक्निकल ग्रेड यूरिया), एवं, फार्मेल्डिहाइड यूरिया के स्रोत प्राप्त की गहनता से जांच की जाए तथा यदि किसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा अनुदानित यूरिया का उपयोग अपने उत्पादों के निर्माण में किया जाना पाया जाता है, तो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की संगत धाराओं एवं अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे अनुदानित यूरिया का औद्योगिक इकाईयों द्वारा दुरूपयोग किए जाने पर नियंत्रण रखा जा सके।

(3) जनपदों में समय-समय पर पड़ने वाले उर्वरक छापों के दौरान उर्वरक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ उपरोक्तानुसार चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का जनपद में गठित टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया जाए।

5. कृपया तदनुसार प्रत्येक माह जांच की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर नियमित रूप से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 65 / 2021/1363565/12-2099/86/2021 -एफ0 42/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-02/2021-एफ0एम0 दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के संदर्भ में,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in